



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.जेड.-अ.-20012025-260345
CG-MZ-E-20012025-260345

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2025/पौष 25, 1946
No. 38] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2025/PAUSAH 25, 1946

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेस

आइज़ोल, मिज़ोरम

अधिसूचना

आइज़ोल, 14 नवम्बर, 2024

क्रमांक A.12018/2/2024-Estt/RIPANS/204.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या यू.12012/57/2022-एनई-पार्ट(15) दिनांक 02.09.2024 द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइज़ोल में मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद की भर्ती की विधि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-

1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन :-

- इन विनियमों को ग्रुप 'सी' गैर संकाय पद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ), रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइज़ोल, मिज़ोरम, 2024 के भर्ती नियम कहा जाएगा।
- यह विनियम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

2. पे-मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर:-

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े पे-मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची । में निहित संबंधित पदों में निर्दिष्ट होगा। ग्रुप 'सी' के रूप में पदों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के वेतन स्तर में समान श्रेणियों के अनुरूप होगा।

3. भर्ती मानदंड:-

3.1 सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूची । में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। संबंधित पद के लिए आवश्यक आरआईपीएनएस के संबंध में गैर संकाय के हित के संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता के लिए निर्दिष्ट अनुशासन, पदों के विज्ञापित होने से पहले अनुसूची । में दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और नियामक निकायों की शैक्षिक योग्यता, यथास्थिति, केवल स्वीकार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3.2 सभी पदों के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची । में निर्दिष्ट अनुसार होगा। पद के लिए अपेक्षित अनुभव निर्धारित करने की निर्णायिक तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

3.3 भर्ती अनुसूची । में निर्धारित अनुसार की जाएगी। जब भी पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो पदों का विज्ञापन आरआईपीएनएस की वेबसाइट और समाचार पत्रों में ऐसे उचित तरीकों से किया जाएगा जो संस्थान प्राधिकरण उचित समझे। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, निदेशक एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

3.4 सीधी भर्ती के मामले में, पद के लिए नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के लिए विशिष्ट अंक देकर चयन पारदर्शी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, जैसा आवश्यक हो, आयोजित करेगी।

3.5 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर भरा जा सकता है।

4. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा :

4.1 प्रत्येक श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा अनुसूची । में निर्दिष्ट अनुसार होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों आदि के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी। जब तक भर्ती नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थानों में सेवारत कर्मियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4.2 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायिक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

5. भर्ती की विधि

5.1 उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

5.2 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, अनुसूची । में निर्दिष्ट न्यूनतम

अवधि के लिए शुरू में परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के अंत में, संस्थान प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है या नहीं। यदि उसका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो उसे परिवीक्षा पूरी होने पर नियमित नियुक्ति के लिए पुष्टि की जाएगी।

5.3 उम्मीदवार के पास अनुसूची । में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता और अनुभव होने के अधीन, अन्य केंद्र सरकार/राज्य सरकार के उम्मीदवारों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की होगी जिसे निदेशक द्वारा सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार क्रृतिदाता विभाग की सहमति से पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

6. अयोग्यता:-

कोई भी व्यक्ति :

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

बशर्ते कि आरआईपीएनएस, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

7. व्याख्या:-

जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, मामला नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

8. छूट देने की शक्ति :-

जहां आरआईपीएनएस की विधिवत गठित चयन समिति की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से हो सकता है, अनुसूची । में उल्लिखित किसी भी वर्ग या श्रेणी के पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दें। यह नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

9. व्यावृत्ति :-

इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी का विवरण आरआईपीएनएस द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

मल्टी-टास्किंग स्टाफ हेतु भर्ती नियम, आरआईपीएनएस, आइज़ोल

1	पद का नाम	मल्टी-टास्किंग स्टाफ
---	-----------	----------------------

2	पदों की संख्या	14* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3	वर्गीकरण	ग्रुप 'सी'
4	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 1
5	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है)
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिक्युलेशन या समकक्ष
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	नहीं
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष
10	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	लागू नहीं
12	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/समिति/चयन समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	<ol style="list-style-type: none"> निदेशक, आरआईपीएएनएस – अध्यक्ष निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवाएं जो उप निदेशक के पद से नीचे न हों (रोटेशन द्वारा)। संयुक्त प्रतिनिधि. सचिव. - सदस्य (एनई) एमएच एंड एफडब्ल्यू भारत सरकार अवर सचिव के पद से निम्न नहीं संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - *सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य*

		6. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य सचिव आरआईपीएएनएस (*निदेशक, आरआईपीएएनएस द्वारा नामित किया जाना है)
13	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

डॉ. संजय डी. सावंत, निर्देशक

[विज्ञापन-III/4/असा./894/2024-25]

REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES

AIZAWL, MIZORAM

NOTIFICATION

Aizawl, the 14th November, 2024

No. A.12018/2/2024-Estt/RIPANS/204.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter F.No.U-12012/57/2022-NE-(Part 15) dated 02.09.2024, the President hereby makes the following amendment of the method of recruitment of the post of Multi-Tasking Staff in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, namely:-

10. Short Title and commencement: -

10.1. These rules may be called the Recruitment Rules of Group C Non Faculty Posts (Multi-Tasking Staff), Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2024.
10.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

11. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of posts, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in respective posts as contained in Schedule I. The classification of posts as Group B will correspond to similar categories in the Pay Level of Central Government.

12. Recruitment Norms: -

3.1 The minimum educational qualification for all the posts shall be as specified in Schedule I. The specified discipline for educational qualification in related areas of interest of the faculty in respect of RIPANS, required for the post concerned, will be as given in Schedule I, before the posts are advertised. Educational qualifications of recognized University and regulating Statutory Bodies, as the case may be, will only be accepted. In case of any doubt regarding educational qualification, the decision of Appointing Authority will be final and binding.
3.2 The experience required for all the posts shall as specified in Schedule I. The crucial date for determining the experience required for the post shall be the closing date for receipt of application from candidates.
3.3 Recruitment shall be made by direct recruitment, as prescribed in Schedule I. Whenever the posts are to be filled up by direct recruitment, the posts shall be advertised in the website of RIPANS and newspapers by such appropriate methods as the Institute authority deems fit. In case of receipt of large number of applications, the Director may constitute a Screening Committee, which will short-list the candidates.
3.4 In case of direct recruitment, the selection shall be transparent by giving specific marks for various parameters decided by the Selection Committee, keeping in view the job requirement for the post. The

Selection Committee as constituted by competent authority will hold interviews of the all-eligible candidates, as may be required.

3.5 Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances, for duration of one year or more, can be filled on deputation/short term contract.

13. Age limit for direct recruitments: -

4.1 The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in Schedule I. The upper age limit in respect of Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and the other special categories of persons etc, shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Unless otherwise specified in the Recruitment Rules, age relaxation of 5 years will be allowed for personnel serving in Central/State Government and Autonomous Institutions of Central & State Governments.

4.2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates.

14. Method of Recruitment:

5.1 The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

5.2 In case of direct recruitment, the selected candidates, from the date of assuming the duties will be on probation initially for a minimum period as specified in Schedule I. At the end of probation period, the candidate's performance will be assessed by the Institute authority to decide if the candidate's performance during the probation period has been satisfactory or otherwise. If his/her performance is found to be satisfactory, he/she will be confirmed for regular appointment on completion of probation.

5.3 Subject to the candidate having minimum qualification and experience as specified in Schedule I, candidates from other Central Government/State Government can be taken on deputation basis. The period of deputation shall be for a period of three years which may be extended by the Director up to five years in the exigencies of service taking the consent of the lending department.

15. Disqualification: -

No person:

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

16. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

17. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule I. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

18. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central

Government from time to time in this regard. The posts filled earlier will not be affected by these Recruitment Rules, which are being notified now. The job descriptions pertaining to various posts would be issued separately by RIPANS as an Office Order.

Recruitment Rules for Multi-Tasking Staff

1.	Name of post	Multi-Tasking Staff
2.	Number of post	14*(2024) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Group 'C'
4.	Level in the Pay Matrix	Level -1 of the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	Between 18 to 27 years (Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Matriculation or equivalent from a recognized Board/Institute
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	No
9.	Period of probation if any	Two Years for direct recruit
10.	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Direct Recruitment
11.	In case of Recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not Applicable
12.	If a Departmental Promotion Committee/Selection committee exists, what is its composition	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy.Director (By Rotation) - Member 3. Representative of Jt. Secy. (NE), MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Administrative Officer, RIPANS Secy - Member (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Dr. SANJAY D. SAWANT, Director

[ADVT.-III/4/Exty./894/2024-25]